न्यायालय लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीनअधिकारी, शैतानसिंहराजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 76 / 2021

प्रार्थीगण :–
1. कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति सुथार निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्वअधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अब्दुल सलीम खान प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार, पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 09.07.2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– कस्बा पीपाड़ शहर पटवार हल्का पीपाड़ शहर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 1288 रकबा 1.1650 हेक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि आई हुई है जो प्रार्थी ने खातेदारीसुदा कृषि भूमि स्थित हैं उक्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 113 व पुराना 1040 पर इन्द्राजसुदा है। उक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी सवत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है व कम्प्यूटर प्रिण्ट नक्शा भी संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निरबाद रूप से चला आ रहा है प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्रार्थी अपना जीवन यापन करता है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर पास स्थित अन्य खसरान जो राजकीय रास्ते की भूमि है जिस पर सरकार द्वारा अथवा अन्य कृषि भूमि धारकों द्वारा रास्ते की भूमि को छोड़कर प्रार्थी के खातेदारीसुदा भूमि में से सड़क निकाल देने का पुरा अंदेशा हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान अपने स्तर पर करने पर प्रार्थी की भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड से मिलान करने पर कम पड़ रहीं हैं इसलिए प्रार्थी को पूरा अंदेशा हैं कि प्रार्थी की खातेदारीसुदा कृषि भूमि में से सड़क निकाल दी गई हैं प्रार्थी रेवन्यू रेकर्ड के अनुसार नाप चौक करना नहीं जानता लेकिन प्रार्थी अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधीपत्य के साथ कब्जा रखना आवश्यक समझता हैं इसलिए अप्रार्थी से अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबें व नक्शें के अनुसार नाप चोक करवाना आवश्यक समझता हैं व प्रार्थी को नाम चोक करवाने की आवश्यकता भी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वर्णित वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार/तारबंदी करवाना चाहते हैं वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1288 का नाप चोक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी हैं जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादग्रस्त खसरे के दोनों तरफ कटाण रास्ते आये हुऐ हैं इसलिए वादग्रस्त खसरे की सीमाओं को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद प्रार्थी / अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच में विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए अप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया हैं ताकि प्रार्थी द्वारा दीवार व तारबंदी के दौरान रास्ते पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हों। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवाकर देंगे एवम् मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देंगे तथा नियमानुसार कमिश्नर फीस अदा कर देंगे। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस रूपया मय तलबाना के प्रस्तुत है। प्रार्थी भूमिधारी व रेकर्ड धारक होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। नजदीक भविष्य में प्रार्थी कृषि करते वक्त खेत के पड़ोसियान द्वारा विवाद करने की सम्भावना है इसलिए प्रार्थना पत्र का कारण भविष्य की सम्भावना को देखते हुए माना जाना सही है प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को आदेश दिया जावे कि कस्बा पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1288 रकबा 1.1650 हेक्टेयर किस्म चाही द्वितीय की भूमि को भी भूमि का नाम चौक किया जाकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढ़ी/ मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को सादर फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारीसुदा खेत का सही सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अप्रार्थी तहसीलदार के जवाब के आधार पर ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1288 रकबा 1.1650 हैक्टयर भूमि का नाप चौक करवाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्याय संगत है। अतः वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1288 का टीम गठित

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कर नाप चौक कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवा कर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक **09.07.2021** को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्डरिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर